उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
मुख्यालय, 2–महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

पीबीएक्स 0522–4151200
फैक्स 0522–2629284
ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्रांक : बैंकिंग / एफ–302 / 2024-25/100
दिनांक : 09 मई, 2024

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखाएं,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **Fair Practices Code for Lenders-Charging of Interest**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्रांक–DoS.CO. PPG.SEC.1/11.01.005/2024-25, दिनांक–29.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से दिनांक– 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए बैंकों की ऑनसाईट जांच में बैंकों द्वारा अपने उधारकर्ताओं से ब्याज वसूलने के सम्बन्ध में पाईं गयीं कतिपय कमियों के दृष्टिगत बैंकों के लिए उचित आचरण संहिता–ब्याज वसूलना (Fair Practices Code for Lenders-Charging of Interest) के सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों के अनुपालन में निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

1. ग्राहक को वितरित ऋण की धनराशि के संवितरण (डिस्बर्समेण्ट) की तिथि से ब्याज लगाया जायेगा, न कि ऋण की मंजूरी की तारीख या ऋण समझौते की तिथि से। इसी प्रकार यदि ऋणी को ऋण का संवितरण चेक के माध्यम से किया जाता है तो ब्याज की गणना ऋणी को चेक सुपुर्दगी की तिथि से की जायेगी, न कि चेक पर अंकित तिथि से।
2. माह के दौरान ऋण के वितरण या पुनर्भुगतान के मामले में ऋणी से बकाया ऋण पर ब्याज पूरे माह के बजाय केवल उस अवधि के लिए लिया जायेगा, जिस अवधि तक के लिए वह ऋण आउटस्टैण्ड होगा।
3. यदि ऋणी द्वारा अपने ऋण खाते में एडवांस में एक या अधिक किस्तें जमा कर दी जाती हैं तो ब्याज की गणना अवशेष धनराशि पर की जायेगी।

अग्रेतर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रांक– DoS.CO. PPG.SEC.1/11.01.005/2024-25, दिनांक–29.04.2024 इस निर्देश के साथ संलग्न है कि उक्त परिपत्र का भलीभांति अध्ययन करते हुए शाखा स्तर पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त दिशा–निर्देश परिपत्र निर्गत होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

संलग्नकः भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र दि0–29.04.2024

9.5.24
(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. मै0 मेगासाफ्ट को इस निर्देश के साथ कि वे सीबीएस सॉफ्टवेयर में उपरोक्त अंकित बिन्दुओं के अनुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें।

E:\loan 12.02.2 24\d drive\BKG 2\circulars\all circulars.doc

4. महाप्रबन्धक (आई0टी0) को इस निर्देश के साथ कि वे बैंक की वेबसाइट पर परिपत्र को अपलोड कराने के साथ–साथ सीबीएस सॉफ्टवेयर में उपरोक्त अंकित बिन्दुओं के अनुसार संशोधन कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त महाप्रबन्धक/विभाग प्रभारी, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. स्टाफ आफिसर–अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 के अवलोकनार्थ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
9. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक

G.M (Banking)
Plz. Ensure
30/4/24

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

RBI/2024-25/30
DoS.CO.PPG.SEC.1/11.01.005/2024-25

April 29, 2024

All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) excluding Payments Banks
All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ District Central Co-operative Banks
All Non-Banking Financial Companies (including Microfinance Institutions and Housing Finance Companies)

Madam / Dear Sir,

Fair Practices Code for Lenders – Charging of Interest

The guidelines on Fair Practices Code issued to various Regulated Entities (REs) since 2003, *inter-alia*, advocate fairness and transparency in charging of interest by the lenders, while providing adequate freedom to REs as regards their loan pricing policy.

2. During the course of the onsite examination of REs for the period ended March 31, 2023, the Reserve Bank came across instances of lenders resorting to certain unfair practices in charging of interest. Some of the unfair practices observed are briefly explained below:

a) Charging of interest from the date of sanction of loan or date of execution of loan agreement and not from the date of actual disbursement of the funds to the customer. Similarly, in the case of loans being disbursed by cheque, instances were observed where interest was charged from the date of the cheque whereas the cheque was handed over to the customer several days later.

b) In the case of disbursal or repayment of loans during the course of the month, some REs were charging interest for the entire month, rather than charging interest only for the period for which the loan was outstanding.

पर्यवेक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मेकर टावर - एफ़, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई – 400 005
टेलीफोन: 022- 2217 7551 ई-मेल - ppgdos@rbi.org.in
Department of Supervision, Central Office, Maker Tower - F, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400 005
Tel: 022-2217 7551 e-mail: ppgdos@rbi.org.in
बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है

c) In some cases, it was observed that REs were collecting one or more instalments in advance but reckoning the full loan amount for charging interest.

3. These and other such non-standard practices of charging interest are not in consonance with the spirit of fairness and transparency while dealing with customers. These are matters of serious concern to the Reserve Bank. Wherever such practices have come to light, RBI through its supervisory teams has advised REs to refund such excess interest and other charges to customers. REs are also being encouraged to use online account transfers in lieu of cheques being issued in a few cases for loan disbursal.

4. Therefore, in the interest of fairness and transparency, all REs are directed to review their practices regarding mode of disbursal of loans, application of interest and other charges and take corrective action, including system level changes, as may be necessary, to address the issues highlighted above.

5. This circular takes immediate effect.

Yours faithfully,

(Tarun Singh)

Chief General Manager